न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः— 378/2011/223 (2018/00019)

1. जगन निवास पुत्र स्व0 सीताराम,
2. पुष्कर चरण उर्फ रूपचन्द पुत्र स्व0 सीताराम,
   जाति ब्राह्मण, निवासी वराह घाट, छोटी बस्ती, पुष्कर, तहसील पुष्कर जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. पुष्कर नारायण गोद पुत्र स्व0 राजाराम,
2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नि सम्पत निवास,
3. मधुसुदन पुत्र स्व0 सम्पत निवास,
4. नन्द किशोर पुत्र स्व0 रामनिवास,
5. राजेन्द्र राजोरिया पुत्र स्व0 बेणी गोपाल,
6. सुभाष राजोरिया पुत्र स्व0 बेणी गोपाल,
7. श्याम सुन्दर राजोरिया पुत्र स्व0 बृजनिवास पौत्र स्व0 धन्नालाल,
8. सुरेन्द्र कुमार राजोरिया पुत्र स्व0 बृजनिवास पौत्र स्व0 धन्नालाल,
9. हरीश चन्द्र पुत्र स्व0 रामचन्द्र पौत्र स्व0 अजयपाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
   9/1— सज्जन बेवा पत्नी स्व0 हरीशचन्द्र,
   9/2— चितरंजन पुत्र स्व0 हरीश चंन्द्र,
   9/3— तेजस्वी उर्फ गोविन्द पुत्र स्व0 हरीशचंद्र
10. सत्यनारायण पुत्र स्व0 रामचन्द्र पौत्र स्व0 अजयपाल,
11. सुदर्शन राजोरिया पुत्र स्व0 सुरेश राजोरिया पौत्र स्व0 अजयपाल,
12. खेमू राजोरिया पुत्र स्व0 सुरेश राजोरिया पौत्र स्व0 अजयपाल,
13. दिलीप राजोरिया पुत्र स्व0 सुरेश राजोरिया पौत्र स्व0 अजयपाल,
    समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी छोटी बस्ती, पुष्कर, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
14. बाबूलाल पुत्र स्व0 रामलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
    14/1— श्रीमती बदाम बेवा बाबूलाल,
    14/2— ख्यालीराम पुत्र स्व0 बाबूलाल,
    14/3— ओमप्रकाश पुत्र स्व0 बाबूलाल,
    समस्त निवासी ग्राम बांसेली, तह0 पुष्कर, जिला अजमेर ।
15. मूला पुत्र स्व0 रामलाल,
16. रतन पुत्र स्व0 रामलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
    16/1— जीतू पुत्र स्व0 रतन,
    16/2— लालचन्दा पुत्र स्व0 रतन,
    16/3— ख्याली पुत्र स्व0 रतन,
17. रेवा पुत्र स्व0 रामलाल (मृतक) जरिये वारिसानः—
    17/1— पप्पू पुत्र स्व0 रेवा,
    17/2— भागचन्द पुत्र स्व0 रेवा,
    17/3— लालचन्द्र पुत्र स्व0 रेवा,
18. कैलाश पुत्र स्व0 रामलाल,
19. हरचंद पुत्र स्व0 रामलाल,
20. श्रीमती जोदा पत्नी स्व0 रामलाल,
21. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, पुष्कर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर दिनांक 13.07.2011 अंतर्गत वाद संख्या 227/2008.

उपस्थितः—

1. श्री रविन्द्र सेठी, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 20 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 12.02.2021

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 एवं 53 राज0काश्त0अधि0 1955 तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया । वाद के विचाराधीन रहते रेस्पो0 संख्या 9 हरीशचन्द्र पुत्र स्व0 रामचन्द्र व रेस्पो0 संख्या 14 बाबूलाल पुत्र स्व0 रामलाल का स्वर्गवास हो गया । वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 रेस्पो0 संख्या 9 व 14 के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु दिनांक 24.4.2009 को पेश किया। प्रतिवादी ने इन प्रार्थनापत्रों के जवाब में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 9 व 14 के कायम मुकाम बाबत् प्रस्तुत उपरोक्त दोनों प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 जा0दी0 के साथ प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों की पुष्टि में शपथ पत्र संलग्न नहीं है जो राजस्व कोर्टस मेन्यूअल के नियम 33 व 35 के तहत आवश्यक है । तथा प्रार्थना पत्र में रेस्पो0 संख्या 9 व 14 की मृत्यु की दिनांक भी अंकित नही की है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र समयावधि में पेश नहीं किये है कायम मुकाम प्रार्थना पत्र करने हेतु 90 दिवस की अवधि नियत है । अतः उपरोक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाकर वाद अबेट होने से खारिज किया जावे । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 13.7.2011 द्वारा वादी का वाद अबेट होने से खारिज करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । आदेश 22 नियम 10 ए व्यवहार प्रक्रिया संहित में यह प्रावधान है कि वाद में किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर किसी भी पक्षकार को जब कभी यह जानकारी प्राप्त हो कि उस पक्षकार की मृत्यु हो गई है तो वह न्यायालय को इसकी लिखित सूचना देगा तब न्यायालय इसकी सूचना इस वाद में संबंधित दूसरे पक्षकार को देगा । हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पो0 के अधिवक्ता द्वारा व न्यायालय के द्वारा वादी/अपीलांट को रेस्पो0 संख्या 9 व 14 की मृत्यु की कोई सूचना नहीं दी गई । अपीलांट/वादी को रेस्पो0 संख्या 9 व 14 की मृत्यु की जानकारी होते ही मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु जानकारी से अंदर मियाद प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था । अधी0न्याया0 ने संपूर्ण वाद अबेट करने में त्रुटि कारित की है । आदेश

22 नियम 4 के अंतर्गत केवल मृतक व्यक्ति के विरूद्ध ही वाद उपशमन होता है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने संपूर्ण वाद अबेट करने में विधिक त्रुटि कारित की है । वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद विभाजन का भी है जिसमें आदेश 22 नियम 9 जा0दी0 लागू नहीं हेाता है । यह भी कथन किया कि बंटवारे का वाद अबेट नहीं होता है । रेस्पो0/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 का जवाब पेश नहीं किया न ही मृत्यु की तारीख अंकित की है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र विलंब से पेश किया जाना मानकर संपूर्ण वाद को अबेट मानकर खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 13.7.2011 वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 जा0दी0 सरसरी तौर पर मात्र इस आधार पर निरस्त किया है कि वादी/अपीलांट द्वारा सुझाये गये पक्षकार जो कि वाद के सभी पक्षकारान का पारिवारिक सदस्य है उक्त प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित नहीं है जो कि अत्यन्त ही तकनीकी आधार है । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 आदेश 5 नियम 24 सपठित धारा 151 जा0दी0 बाबत् कोई आदेश पारित किये बिना वाद अबेट के आधार पर निरस्त किया है जिससे भी अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्तनीय है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पक्षकारों के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बताय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । अधी0न्याया0 ने इस सिद्धांत को नजरअदांज कर वादी के बंटवारे के वाद को गुणावगुण पर निर्णित न कर केवल मात्र तकनीकी आधार पर अबेट मानकर खारिज करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है । ऐसे आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा वाद को गुणावगुण पर निर्णित किये जाने हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 1038 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया ।

5. हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलांट का वाद इस आधार पर निरस्त किया है कि वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 दोनों प्रार्थना पत्रों में मृतक प्रतिवादी संख्या 14 बाबूलाल एवं मृतक प्रतिवादी संख्या 9 हरिशचन्द्र की मृत्यु दिनांक अंकित नहीं की है और ना ही मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है । इस कारण प्रस्तुत उपरोक्त दोनो प्रार्थना पत्र नियत समय अवधि में किस कदर से शुमार हो यह स्पष्ट नहीं है । कायम मुकाम की कार्यवाही हेतु नियत समय अवधि 90 दिवस एवं बाद की 60 दिवस कसी अवधि अबेटमेंट को सेट–असाईट करने की है । इस कारण वादी का वाद अबेट हो गया है । इसी प्रकार अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 (2) सपठित धारा 151 जा0दी0 के साथ शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टि में संलग्न नहीं किये गये है जो कि रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों के तहत आवश्यक है । इसलिये इन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार करने में कोई मायने नहीं रहता है । इसलिये वादी का वाद मृतक प्रतिवादी संख्या 9 व 14 के कायम मुकाम की कार्यवाही नियत समय अवधि में नहीं करने के कारण वाद के अबेट हो जाने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है । वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 दिनांक 9.4. 2009 को पेश कर कथन किया कि वाद में प्रतिवादी संख्या 14 बाबूलाल पुत्र स्व0 रामलाल का देहांत हो चुका है जिसके विधिक वारिसान बदाम बेवा बाबूलाल, ख्यालीराम पुत्र बाबूलाल, ओमप्रकाश पुत्र बाबूलाल है जिन्हें वाद में प्रतिवादी संख्या 14 मृतक बाबूलाल के स्थान पर प्रतिवादी

नियुक्त किया जावे । इसी प्रकार एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 दिनांक 9.4.2009 को पेश किया गया जिसमें कथन किया कि वाद में प्रतिवादी संख्या 9 हरिशचन्द पुत्र स्व0 रामचन्द का स्वर्गवास हो चुका है जिसके विधिक वारिसान सज्जन बेवा हरिशचंद, चितरंज पुत्र स्व0 हरिशचंद, गोविन्द पुत्र हरिशचंद है जिन्हें मृतक प्रतिवादी संख्या 9 हरिशचन्द पुत्र स्व0 रामचन्द्र के स्थान पर वाद में प्रतिवादी नियुक्त किया जावे । यद्यपि वादीगण ने दोनों प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 में प्रतिवादी संख्या 9 व 14 की मृत्यु दिनांक अंकित नहीं की है किन्तु वाद पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट का वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 के साथ धारा 53 बंटवारा का भी था । हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 1038 का ससम्मान अवलोकन किया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि '' सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 22, नियम 4–'एस.आर.' के विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन खारिज किया तथा उसके विरूद्ध वाद उपशमित हुआ–निगरानी–आदेश 22, नियम 4 के अंतर्गत आवेदन धारा 5 परिसीमा अधि0 के आवेदन के साथ पेश किया–वाद विभाजन हेतु था तथा विभाजन हेतु वाद उपशमित नहीं होता है, तथा आदेश 22 नियम 9 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है । '' इसी प्रकार ए0आई0आर0 1985 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ संख्या 606 में निर्धारित किया है किः– '' It is true that no steps were taken by the appellants for bringing the legal representatives of the deceased respondent No 5 on record for about 6 Years even though according to respondent No. 4 the appellants knew about the death of respondent No. 5. But merely because no application was made by the appellants for bringing the legal representatives of the deceased respondent No. 5 on record we do not think that in the circumstances of the present case that would be a valid ground for refusing to grant the application ot the appellants for setting aside the abatement and bringing the legal representatives of the deceased respondent No.5 on record because the appellants are admittedly from the rural area and in a country like ours where there is so much poverty, ignorance and illiteracy, it would not be fair to presume that everyone knows that on death of a respondent, the legal representatives have to be brought on record within a certain time. The ends of justice require that ehe application for bringing the legal representatives of the deceased respondent No 5 should have been granted. ''

6. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में निर्धारित सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि बंटवारा का वाद उपशमन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है तथा न्याय के लिए वाद को उपशमन के आधार पर खारिज किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । हम उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रतिवादी संख्या 9 व 14 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का गुणावगुण पर परीक्षण कराया जाना न्यायोवित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 13.7.2011 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान सहायक कलक्टर (मु0), अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.7.2011 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक प्रतिवादी संख्या 9 वस 14 के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेकर उभयपक्ष को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.02.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर